न्यायालय जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 गौरव सैनी

अपील संख्या– 11/24

तारीख रज्जू–06/05/24

1 धर्मपाल पुत्र चुन्नी जाति मीना निवासी ग्राम नांद तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

—— प्रार्थी

बनाम

1. हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा हिण्डौन सिटी जरिये सचिव हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड हिण्डौन सिटी जिला करौली (राज0)।

– अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक– 25/06/2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 के अर्न्तगत न्यायालय जिला कलेक्टर करौली के प्रकरण सं0 19/2018 में पारित आदेश दिनांक 12/09/2018 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। उक्त निर्णय दिनांक 12/09/2018 द्वारा प्रार्थी की रहन रखी गई भूमि आराजी खं0नं0 492 रकबा 0.21, खं0नं0 493 रकबा 0.21, खं0नं0 549 रकबा 0.42, खं0नं0 552 रकबा 0.24, खं0नं0 563 रकबा 0.13, खं0नं0 564 रकबा 0.14, खं0नं0 601 रकबा 0.78, खं0नं0 602 रकबा 0.03, खं0नं0 821 रकबा 0.67, खं0नं0 1492 रकबा 0.01, खं0नं0 1493 रकबा 0.13, खं0नं0 1494 रकबा 0.06, खं0नं0 1495 रकबा 0.08, खं0नं0 1497 रकबा 0.40, खं0नं0 1498 रकबा 0.45, खं0नं0 1500 रकबा 0.88, खं0नं0 1501 रकबा 0.25, खं0नं0 1528 रकबा 0.25 कुल किता 18 कुल रकबा 5.34 हिस्सा 1/2 भाग बाके ग्राम नांद, पटवार हल्का गोरडा तहसील टोडाभीम को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अर्न्तगत हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि0, शाखा हिण्डौन के पक्ष में अंतरित की गई, साथ ही वकील प्रार्थी ने राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 के अर्न्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त वाद आराजीयात भूमि पुनः प्रार्थी के पक्ष में अंतरित करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन की गई। उभय पक्षों के उपस्थित होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि तत्कालीन न्यायालय जिला कलेक्टर करौली द्वारा प्रार्थी की भूमि खं0नं0 1492, 1493, 1494, 1495, 1497, 1498, 1500, 1501, 1528, 492, 493, 549, 552, 563, 564, 601, 602, 821 कुल किता 18 कुल रकबा 5.34 है0 हिस्सा 1/2 भाग बाके ग्राम नांद, तहसील टोडाभीम, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा हिण्डौन सिटी के पक्ष में अंतरित की गई है, तथा उक्त निर्णय दिनांक 12/09/2018 की पालना में रेवन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में भी बैक हक में खातेदारी हो गयी है। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त निर्णय इकतरफा किया गया जिसकी जानकारी प्रार्थी धर्मपाल को नहीं थी ना ही प्रार्थी धर्मपाल को नोटिस जारी किया गया था।

प्रार्थी धर्मपाल ने बैक का चुकता ऋण राशि मय ब्याज के जमा करा दिया है तथा कोई ऋण बकाया नहीं है। जिसका नोड्यूज प्रमाण पत्र दिनांक 25.07.2023 को जारी कर

25/6/24
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)

दिया गया है। इस संबंध में बैक ने प्रार्थी धर्मपाल के साथ समझौता कर लिया है कि प्रार्थी पूर्ण राशि मय ब्याज सहित जमा करवा देता है तो उसकी जमीन वापिस लोटा दी जावेगी। प्रार्थी धर्मपाल द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश टोडाभीम में राष्ट्रीय लोक अदालत में दिनांक 09/09/2023 को कृषक धर्मपाल के हक में राजीनामा की डिक्री पारित की गई है तथा बैक व कृषक धर्मपाल ने न्यायालय में राजीनामा पेश किया है जिसमें बैक शाखा ने भी यह कहा है कि कृषक धर्मपाल के उक्त भूमि की हिस्सा 1/2 की खातेदारी वापिस कृषक के हक में कर दी जावे तथा वकील प्रार्थी ने दौराने बहस यह भी बताया कि अप्रार्थी हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैक लि0 हिण्डौन ने अपने पत्रांक 282 दिनांक 14.03.2024 द्वारा भी खातेदारी वापस प्रार्थी को देने हेतु सहमति दी है, साथ ही वकील प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की उपरोक्त भूमि कुल किता 18 कुल रकबा 5.34है0 हिस्सा 1/2 स्थित ग्राम नाद तहसील टोडाभीम में विपक्षी का नाम हजफ किया जाकर प्रार्थी के नाम नवीन नामान्तकरण खोलने हेतु निवेदन किया है।

अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी धर्मपाल पुत्र चुन्नी जाति मीना निवासी नॉद तह0–टोडाभीम द्वारा दिनांक 10.09.2007 उदेश्य ईट भट्टा हेतु राशि 4,00,000/– रू0 का ऋण लिया था प्रार्थी पर बैक की राशि अवधिपार हो जाने पर बैक द्वारा जमीन की धारा 99–100 में कार्यवाही कर रहनशुदा भूमि का बैक पक्ष में नामान्तकरण किये जाने हेतु राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अर्न्तगत उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ करौली की सहमति के पश्चात् न्यायालय जिला कलेक्टर करौली को प्रकरण प्रेषित कर दिया गया। जिसके परिपेक्ष्य में न्यायालय जिला कलेक्टर करौली द्वारा इस प्रकरण संख्या 19/2018 में श्री धर्मपाल की रहनशुदा भूमि का बैक पक्ष में नामान्तकरण किये जाने हेतु निर्णय पारित किया गया।

वर्तमान में प्रार्थी श्री धर्मपाल पुत्र चुन्नी मीना निवासी नॉद तह0 टोडाभीम द्वारा बैक की पूर्ण बकाया राशि जमा करा दी गई है। अब इनकी और बैक का कोई ऋण बकाया नहीं है। अतः बैक पक्ष में अन्तरित भूमि खं0नं0 492,493,549,552,563,564,601,602,821 ,1492,1493, 1494, 1495,1497,1498,1500,1501,1528 कुल किता 18 रकबा 5.34 है0 हिस्सा 1/2 भाग को प्रार्थी के पक्ष में अन्तरण कर दिया जाता है तो बैक को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

उभय पक्षों की बहस सुनने, उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि न्यायालय जिला कलेक्टर करौली के प्रकरण सं0 19/2018 में पारित आदेश दिनांक 12/09/2018 के अनुसार द्वारा प्रार्थी की रहन रखी गई भूमि आराजी खं0नं0 492 रकबा 0.21, खं0नं0 493 रकबा 0.21, खं0नं0 549 रकबा 0.42, खं0नं0 552 रकबा 0.24, खं0नं0 563 रकबा 0.13, खं0नं0 564 रकबा 0.14, खं0नं0 601 रकबा 0.78, खं0नं0 602 रकबा 0.03, खं0नं0 821 रकबा 0.67, खं0नं0 1492 रकबा 0.01, खं0नं0 1493 रकबा 0.13, खं0नं0 1494 रकबा 0.06, खं0नं0 1495 रकबा 0.08, खं0नं0 1497 रकबा 0.40, खं0नं0 1498 रकबा 0.45, खं0नं0 1500 रकबा 0.88, खं0नं0 1501 रकबा 0.25, खं0नं0 1528 रकबा 0.25 कुल किता 18 कुल रकबा 5.34 हिस्सा 1/2 भाग बाके ग्राम नांद, पटवार हल्का गोरडा तहसील टोडाभीम को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अर्न्तगत हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैक लिमि0, शाखा हिण्डौन के पक्ष में अंतरित की गई है। उक्त कम में अप्रार्थी द्वारा भी उक्त वाद आराजीयात भूमि कुल किता 18 रकबा

25/6/24

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)

5.34 है0 हिस्सा 1/2 भाग को प्रार्थी के पक्ष में अन्तरण करने हेतु अपनी अनापत्ति प्रस्तुत की है।

उक्त परिस्थितियों में उभय पक्षों की सहमति के आधार पर तथा राजस्थान सहकारी सोयायटी नियम 2003 के नियम 99 (15) **When the society to which property is transferred under sub-rule (5) has realized all its dues, under the order in execution of which the property was transferred, form the proceed of management of the property, the property, if unsold, shall be restored to the defaulter.** के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा भूमि आराजी खं0नं0 492 रकबा 0.21, खं0नं0 493 रकबा 0.21, खं0नं0 549 रकबा 0.42, खं0नं0 552 रकबा 0.24, खं0नं0 563 रकबा 0.13, खं0नं0 564 रकबा 0.14, खं0नं0 601 रकबा 0.78, खं0नं0 602 रकबा 0.03, खं0नं0 821 रकबा 0.67, खं0नं0 1492 रकबा 0.01, खं0नं0 1493 रकबा 0.13, खं0नं0 1494 रकबा 0.06, खं0नं0 1495 रकबा 0.08, खं0नं0 1497 रकबा 0.40, खं0नं0 1498 रकबा 0.45, खं0नं0 1500 रकबा 0.88, खं0नं0 1501 रकबा 0.25, खं0नं0 1528 रकबा 0.25 कुल किता 18 कुल रकबा 5.34 हिस्सा 1/2 भाग बाके ग्राम नांद, पटवार हल्का गोरडा तहसील टोडाभीम को धर्मपाल पुत्र चुन्नी जाति मीना ग्राम नांद तहसील टोडाभीम के पक्ष में अंतरित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक २५/०६/२०२४ को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

२५/६/२४

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)